निरीक्षण आख्या **कार्यालय उपजिलाधिकारी, काशीपुर, ऊधमसिंहनगर** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार की गयी है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण सूचना अथवा अप्राप्त सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्यों, शक्तियों एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 13 एवं 16 के अन्तर्गत कार्यालय उपजिलाधिकारी, काशीपुर, ऊधमसिंहनगर के अवधि **05/2012** से **04/2016** तक के लेखा अभिलेखों की लेखापरीक्षा **श्री टी.एस. नेगी, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री ललित थपलियाल, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री सूर्य पाल, लेखापरीक्षक** द्वारा दिनांक **25.05.2016** से **27.05.2016** तक **श्री पुष्कर, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी** के पर्यवेक्षण में सम्पादित सम्प्रेक्षा पर आधारित लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन।

भाग-प्रथम

परिचयात्मकः- प्रथम लेखापरीक्षा।

वर्तमान में माह **05/2012** से **04/2016** तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

1. विगत सम्प्रेक्षा से अब तक निम्न अधिकारियों ने कार्यालयाध्यक्ष का पदभार संभालाः

क्र.सं.	अधिकारी का नाम	पदनाम	कार्यरत समय अवधि	
			कब से	कब तक
1.	श्रीमती इबा सहाय	उपजिलाधिकारी	21.06.2013	04.10.2013
2.	डॉ0 आशीष कुमार श्रीवास्तव	उपजिलाधिकारी	05.10.2013	20.02.2015
3.	श्री पूरन सिंह राणा	उपजिलाधिकारी	21.02.2015	05.04.2016
4.	श्री विजय जोगडण्डे	उपजिलाधिकारी	05.04.2016	वर्तमान तक

(ब) विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरः-

प्रथम लेखापरीक्षा

(1) सतत अनियमिततायेः- **शून्य**

(2) अप्रस्तुत अभिलेख :- **शून्य**

3. बजट आवंटन एवं व्यय का विवरण-

(धनराशि ₹)

वर्ष	**आयोजनागत**		**आयोजनेत्तर**	
	आवंटन	**व्यय**	**आवंटन**	**व्यय**
2013-14	-	-	409.39	407.78
2014-15	-	-	492.84	471.28
2015-16	-	-	578.35	486.00
2016-17 (04/2016)	-	-	53.60	20.40

भाग-2 'अ'

..............................शून्य................................

भाग-2 'ब'

..............................शून्य................................

STAN

प्रस्तर-1 ` 27500 की विभागीय राजस्व प्राप्ति को शासकीय खाते में जमा नहीं किया जाना।

सामान्य वित्तीय नियमावली (GFR)-7 के के अनुसार "All moneys received by or on behalf of the Government either as dues of Government or for deposit, remittance or otherwise, shall be brought into Government Account without delay, in accordance with such general or special rules as may be issued under Articles 150 and 283 (1) of the constitution."

इकाई के वर्ष 2015-16 में चाय कैन्टीन नीलामी पत्रावली की लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि इकाई को नीलामी की उच्चतम बोली ` 110000 का एक चौथाई अर्थात् ` 27500 रसीद सं0 773477 से नजारत रजिस्टर नं0 04 में जमा किया गया था किन्तु लेखापरीक्षा तिथि तक शासकीय खाते में जमा नहीं किया गया था।

इंगित करने पर इकाई द्वारा बताया गया कि उक्त धनराशि बैंक खाते में जमा कर दी गयी है। यथाशीघ्र सम्बन्धित लेखाशीर्ष में जमा कर दी जायेगी।

उत्तर संतोषजनक नहीं है। वित्तीय नियमानुसार राजस्व प्राप्तियों को यथाशीघ्र शासकीय खाते में जमा किया जाना अपेक्षित है जबकि प्राप्त राजस्व को इकाई के बैंक खाते में रखा गया है।

प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग-तीन

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमिततायें जिनका निराकरण लेखापरीक्षा के दौरान नहीं किया जा सका, उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर **कार्यालय उपजिलाधिकारी, काशीपुर, ऊधमसिंहनगर** को इस आशय से प्रेषित किया जायेगा कि उसकी अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर अनुपालन आख्या सीधे उपमहालेखाकार/सामान्य क्षेत्र, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून C-1/105 वैभव पैलेस, इन्दिरा नगर, देहरादून को प्रेषित करना सुनिश्चित करेंगे।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सामान्य क्षेत्र